

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पैठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 237/2021

अनवान :

- 1 महेशसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
- 2 लालसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।

:- वादी

व न म


1. उदयसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
2. उगम कंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
3. गुडडी कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
4. सायर कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
5. सुमित्रा कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
6. सुमन कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
7. सुनिता कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
8. सुगेरसिंह पि०मु० भादरसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी त० भादरा।
9. चन्द्रभानसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी श्योराटाडा त० भादरा।
10. अमरसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी श्योराटाडा त० भादरा।
11. आर.एम.जी.वी. शाखा अनूपशहर जरिये शाखा प्रबंधक भादरा
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवान सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जाकिर हुसैन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पालडी के खसरा सं० 18 की 2.7960है०, खसरा सं० 72 की 1.3150है०, खसरा सं० 74 की 1.8970है०, खसरा सं० 76 की 3.4660है०, खसरा सं० 120की 2.5430है०, खसरा सं० 121 की 3.7700है०, खसरा संख्या 200 की 3.2000है० खसरा संख्या 201 की 2.5810है० कुल खसरा 8 की कुल 21.5680है० बारानी खातेदारी में भागी पत्नि बालसिंह व उदयसिंह वल्द बालसिंह के नाम संयुक्त रूप से 852-1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से भागी पत्नि बालसिंह व उदयसिंह वल्द बालसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादी सं० 1 महेशसिंह, वादी सं० 2 लालसिंह व प्रतिवादी सं० 1 उदयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी सं० 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
शकुन्तला चौधरी  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़